न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : शकुंतला चौधरी आरएएस

मु0नं0 – 11/2021 (2021/11)

सन्दीप कुमार पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना
2. राकेश कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : वादी
वकील श्री श्रवण सहारण ।। : प्रतिवादी सं0 1 व 2

निर्णय दिनांक : 03/9/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नेठराना के चक 4 एनटीआर के खाता सं0 59/54 (3) के मु0नं0 17 के किला नं0 5, 6 क 0.506 है0, किला नं0 14/1 की 0.202 है0, किला नं0 15 ता 17 की 0.759 है0, किला नं0 24, 25 की 0.506 है0 कुल 1.973 है0, मु0नं0 24 के किला नं0 4 से 7 की 0.759 है0, किला नं0 14 से 17 की 0.759 है0, किला नं0 24, 25 की 0.506 है0 कुल 2.530 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 4.503 है0 नहरी मय रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

रोही मौजा नेठराना के चक 4 एनटीआर के खाता सं0 60/58 के मु0नं0 16 के किला नं0 1 से 3 की 0.759 है0, किला नं0 8 से 13 की 1.518 है0, किला नं0 18 से 23 की 1.518 है0, कुल 3.795 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 1 से 3 की 0.759 है0, किला नं0 8 से 13 की 1.518 है0, किला नं0 18 से 23 की 1.518 है0 कुल 3.795 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 7.5900 है0 नहरी मय रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ के नाम 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ को अपने पिता मनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है जो महज कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई जबकि वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की दादालाई सम्पति है जिसमे वादी व प्रतिवादी सं0 2 का अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। उपर वर्णित भूमि को वादी सन्दीप कुमार व प्रतिवादी सं0 2 राकेश कुमार व प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ तीनों संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

1/3-1/3 हिस्सा काश्त करते आ रहे है। दादालाई साबित करने हेतु वर्तमान जमाबन्दी में ही प्रतिवादी सं0 1 के नाम अपने पिता से प्राप्त होने का इन्तकाल दर्ज है। क्योंकि वादी के पिता भागीरथ ने भी जरिये अर्जीदावा यह कृषि भूमि माननीय न्यायालय से प्राप्त की है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु रखी गई।

साक्ष्य वादी में वादी संदीप कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 4एनटीआर के खाता सं0 59/54, 60/58 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ को अपने पिता मनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है वाद भूमि कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जबकि वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की दादालाई सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 का अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। दादालाई साबित करने हेतु वर्तमान जमाबन्दी में ही प्रतिवादी सं0 1 के नाम अपने पिता से प्राप्त होने का इन्तकाल दर्ज है। क्योंकि वादी के पिता भागीरथ ने भी जरिये अर्जीदावा यह कृषि भूमि माननीय न्यायालय से प्राप्त की है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 4 एनटीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ को अपने पिता मनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है तथा संयुक्त हिन्दु परिवार की दादालाई सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 का अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। दादालाई साबित करने हेतु वर्तमान जमाबन्दी में ही प्रतिवादी सं0 1 के नाम अपने पिता से प्राप्त होने का इन्तकाल दर्ज है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 4एनटीआर के खाता सं0 59/54, 60/58 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, 3 प्रदर्शित करवाये है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा मनीराम वल्द भजनाराम के नाम दर्ज है तथा इन्ही जमाबन्दीयात में आगे की प्रविष्टियां जिसमें मनीराम से वाद कृषि भूमि जरिये आदेश प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ व मनीराम के अन्य वारिसान के नाम दर्ज हुई है जिससे वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में भागीरथ के सदस्यों में पत्नि विमला, दो पुत्र राकेश कुमार व सन्दीप कुमार होना व इनके अलावा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अन्य कोई सदस्य नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत: वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नेठराना के चक 4 एनटीआर के खाता सं0 59/54 (3) के मु0नं0 17 के किला नं0 5, 6 की 0.506 है0, किला नं0 14/1 की 0.202 है0, किला नं0 15 ता 17 की 0.759 है0, किला नं0 24, 25 की 0.506 है0 कुल 1.973 है0, मु0नं0 24 के किला नं0 4 से 7 की 0.759 है0, किला नं0 14 से 17 की 0.759 है0, किला नं0 24, 25 की 0.506 है0 कुल 2.530 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 4.503 है0 नहरी मय रास्ता की कृषि भूमि में भागीरथ के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व इसी चक के खाता सं0 60/58 के मु0नं0 16 के किला नं0 1 से 3 की 0.759 है0, किला नं0 8 से 13 की 1.518 है0, किला नं0 18 से 23 की 1.518 है0, कुल 3.795 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 1 से 3 की 0.759 है0, किला नं0 8 से 13 की 1.518 है0, किला नं0 18 से 23 की 1.518 है0 कुल 3.795 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 7.5900 है0 नहरी मय रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनमें प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ के नाम 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है दोनों खातों में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ के बजाय वादी संदीप कुमार व प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ व 2 राकेश कुमार तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...03/9/21... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़